



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11012022-232574
CG-DL-E-11012022-232574

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 11, 2022/पौष 21, 1943

No. 129]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 11, 2022/PAUSA 21, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2022

का.आ. 133(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956(1956 का 48)(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त पंक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 548डी के कि.मी. 83.550 से कि.मी. 110.100 (न्हावरा से प्रारंभ होकर, इनामगाव, तांदळी, काष्टी के निकट रा.म 160 के साथ समाप्त होने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग) दो लेन पेव्हड शोल्डर बनाने, चार लेन व्यवस्था का निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे दी गई अनुसूची में दिए गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितवद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (१) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम अधिकारी, अर्थात् उपजिलाधिकारी भूसंपादन क्र.6 पुणे, को लिखित रूप में किया जायेगा और उसमें आधार अधिकृत किये जायेंगे और सक्षम अधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच

करने क पश्चात, यदि कोई हो, जिसे सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा ३१ की उपधारा(१) के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ; और इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरिक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 548 डी के 83.550 कि.मी. से 110.100 कि.मी तक (न्हावरा से प्रारंभ होकर, इनामगाव ,तांदळी, आष्टी के निकट रा.म 160 के साथ समाप्त होने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: पुणे			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: शिरूर					
गांव का नाम: इनामगाव					
1	10	सरकारी	कृषी	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
2	466	निजी	कृषी	0.2700000(हेक्टेयर)	0.2700000
3	516	निजी	कृषी	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
गांव का नाम: पिंपलसुटी					
1	62	निजी	कृषी	0.0800000(हेक्टेयर)	0.0800000
कुल				0.4300	0.4300

[फ.सं. RW/NH-12014/96/2018-MAH/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2022

S.O. 133(E).— In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below is required for building (Widening / Two / Four-Laning etc.) maintenance, management and operation of National Highway No.548D in the stretch of land from Km 83.550 to Km 110.100 (Starting From Nhavara, Inamgaon, Tandali and Terminating at Kashti on NH-160) in Shirur Taluka and District Pune in the State of Maharashtra.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Deputy Collector Land acquisition No.6, Pune in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and

after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land Nhavara to Adhalgaon from Km 83/550 to 132/600 Upgradation/ Reconstruction to two lanes with paved shoulder/Four lane configuration Nhavara Inamgaon Kashti Shrigonda Mahijalgaon Jamkhed road (NH - 548 D) in the State of Maharashtra, hereby declares intention to acquire such land for Pune District.

State: MAHARASHTRA		District: PUNE			
S. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Shirur					
Village: Inamgaon					
1	10	Government	Agriculture	0.0400000(Hectare)	0.0400000
2	466	Private	Agriculture	0.2700000(Hectare)	0.2700000
3	516	Private	Agriculture	0.0400000(Hectare)	0.0400000
Village: Pimpalsuti					
1	62	Private	Agriculture	0.0800000(Hectare)	0.0800000
Total				0.4300	0.4300

[F. No. RW/NH-12014/96/2018-MAH/3A]
RAJESH GUPTA, Director